न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मांगीलाल (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 55/2020
दावा अन्तर्गत :– धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादीगण

1. दुर्गसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
2. कानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
3. चिमनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
4. शैतानसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
5. नखतसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह
6. बनेकंवर पत्नी मनोहरसिंह
7. बुधवीरसिंह पुत्र मनोहरसिंह
8. भवानीसिंह पुत्र मनोहरसिंह
9. जसवन्तसिंह पुत्र मनोहरसिंह
10. भूपेन्द्रसिंह पुत्र मनोहरसिंह
    प्रार्थी संख्या 10 नाबालिग जरिये
    कुदरती वलीया माता बनेकंवर
11. मदनसिंह पुत्र दौलतसिंह
12. भीवसिंह पुत्र दौलतसिंह
13. चन्दनसिंह पुत्र दौलतसिंह
14. स्परूपसिंह पुत्र लालसिंह
15. ईश्वरसिंह पुत्र लालसिंह
16. चैनसिंह पुत्र लालसिंह
    जाति राजपूत नि. भोजों की बाप
    तहसील बाप जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. नेकूखां पुत्र छोटूखां
2. रईस खां पुत्र नेकूखां
3. रहमतुल्ला पुत्र नेकूखां
   जाति मुसलमान निवासी बडी ढाणी
   तहसील बाप जिला जोधपुर
4. तहसीलदार बाप

उपस्थित :–

1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांकः– 27.09.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की सहहिस्सेदारी खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा संख्या 10 रकबा 23.09 बीघा किस्म [illegible] संख्या । में पुश्तैनी आई हुई है जिसे आगे वाद में विवादगस्त भूमि से सम्बोधित किया जायेगा जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2070–2073 एवं नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि संलग्न वाद पेश है। वादीगण की खातेदारी अधिकारों की कब्जा काश्त की भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध, हक हिस्सा व हित नहीं है और न ही कभी रहा है, वादीगण की वादग्रस्त भूमि के दक्षिण हिस्से में से सड़क निकली हुई है वादीगण की आवासीय ढाणीयां वादग्रस्त भूमि से 4–6 किलोमीटर दूर स्थित होने से हमेशा इस

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

खेत में आना जाना नहीं रहता है। प्रतिवादीगण का खेत वादीगण की वादग्रस्त भूमि से दक्षिण पूर्व दिशा में गांव बाप नवसृजित ग्राम बड़ी ढाणी में पड़ता है औश्र वादीगण तथा प्रतिवादीगण के खेत के बीच में भू प्रबन्ध के समय से कटाणी रास्ता खसरा संख्या 2075 स्थित है, बाद में वादीगण के खेत खसरा संख्या 10 के दक्षिणी हिस्से में से डामर सड़क निकल चुकी है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को हमेशा वादग्रस्त भूमि मं आना जाना नहीं रहने का नाजायज फायदा उठाने की गरज से सन् 2012 के माह दिसम्बर में वादीगण के परिवार के ही सदस्य ने वादग्रस्त भूमि में जाकर देखा तो कटाणी रास्ता व सड़क के बीच की वादीगण की खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि में दो कच्ची ढाणीयां अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाकर उसमें से एक ढाणी में प्रतिवादीगण ने स्थाई निवास कर लिया, जिसका उन्हे कोई हक प्राप्त नहीं था। प्रतिवादीगण से पहले तो वादग्रस्त भूमि के दक्षिणी हिस्से में दो ढाणीयां नहीं होने का बताया, परन्तु बाद में कहा कि खसरा संख्या 10 की भूमि पटवारी से पैमाईश करवा दो, दोनों ढाणीयां खसरा संख्या 10 में नाजायज अतिक्रमण कर बनाई गई पायी जाने पर हम अपना कब्जा छोड़ देगे। वादग्रस्त भूमि को दिनांक 11.01.2013 को रूबरू मौतबिरान व प्रतिवादीगण पटवारी हल्का जोड़ से पैमाईश करवाने पर प्रतिवादीगण की दोनों ढाणीयां वादीगण की वादग्रस्त भूमि में निर्मित होना पाया गया, मौके पर पटवारी हल्का ने पैमाईश की फर्द बनाई जिस पर प्रतिवादीगण ने अपने हस्ताक्षर/अगुष्ठ निशान नहीं किये, परन्तु रूबरू मौतबिरान के प्रतिवादीगण ने कहा कि हम अपना नाजायज कब्जा हटाकर वादीगण की ढाणीयों वाली जगह खाली कर देंगे हमें कुछ वक्त चाहिये। प्रतिवादीगण को भूमि पैमाईश के बाद वादीगण के रूबरू मौतबिरान कई बार अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई ढाणियों से कब्जा छोड़ देने के लिए कहा गया, परन्तुत प्रतिवादीगण कुछ समय और दिया जावे का बहाना करते हुए टालमटोल करते रहे। जिस पर वादीगण के ही परिवार के सदस्य ने प्रतिवादीगण के अतिक्रमण कर वादीगण की भूमि में नाजायज दो ढाणियां बनाकर एक में आवास करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2014 को पुलिस थाना बाप में पेश की, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, मोके पर पहुंचने तक प्रतिवादीगण ने दानों ढाणियों के पास एक नया पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया। पुलिस थाना बाप ने बाद जांच प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्व अतिक्रमण के जुर्म प्रमाणित पाया जाने पर अन्तर्गत धारा 447 आई.पी.सी के आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फलोदी में पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा उनके विरूद्व अतिक्रमण के आरोप में जुर्म को दिनांक 16.03.2015 को स्वीकार कर फौजदारी मूल संख्या 607/2014 में लोक अदालत की माध्यम से मुकदमा का निस्तारण करवाया। प्रतिवादीगण का वादीगण की वादग्रस्त भूमि के दक्षिण [illegible] कच्ची ढाणी और तीसरी निर्माणधीन करीब 4–5 फीट उचाई में बनाकर छोड़ी हुई है और [illegible] आसपास पत्थर इत्यादि डाले हुए पड़े है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पैमाईश के बाद कब्जा छोड़ने और ढाणीयां खाली कर देने का कहते हुए लेतलाली का जवाब देकर टालमटाल करते आ रहे है और मौका मिलने पर निर्माणधीन ढाणी के निर्माण को पूरा करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण का यह कृत्य स्पष्टतया अतिक्रमण कर दिया गया अवैध निर्माण Rank Tresspasser की तारीफ में आता है। वादीगण की वादग्रस्त भूमि में आगे बढकर कब्जा व अतिक्रमण कर निर्माण करने पर उतारू है

Signature Not Verified
Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बाप (जोधपुर)

वादीगण वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर अवैध कच्चे पक्के ढाणी व निर्माणाधीन ढाणी को ध्वस्त करवाकर प्रतिवादीगण को बेदखल करवाने और अतिक्रमण की गई भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है जिसका यह वाद वादीगण पेश है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि आगे बढ़कर निर्माण कार्य अथवा काश्म कर लेंगे तो वादीगण के जायज हितों पर कुठाराघात होगा और अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं आंका जा सकेगा। वादीगण दवेदार है एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व वादग्रस्त भूमि पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि वादीगण के वाद में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्व बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। बेदखली के वाद में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के अभाव में वाद का गुणावगुण के आधार पर निर्णय नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रकरण में विस्तृत रिपोर्ट तहसीलदार बाप से मंगवाई जावें। पत्रावली पर कोई विरोध नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व तहसीलदार बाप से मौका रिपोर्ट मंगवाई। प्रतिवादी संख्या 4 तहसीदार बाप ने मौका रिपोर्ट पेश की शामिल मिसल की गई। वादी संख्या 15 ईश्वरसिंह के बयान पी.डब्लू–1, वादी संख्या 4 शैतानसिंह के बयान पी.डब्लू–2, नूरदीन पुत्र कमरेखां के बयान पी.डब्लू–3, शाह मोहम्मद पुत्र हामसखां के बयान पी. डब्लू–4 कलमबंद्व किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। अधिवक्ता वादीगण और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते है वादीगण साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस में रखी गई।

पत्रावली में संलग्न प्रदर्श पी–1 खाता संख्या 30/29 ग्राम भोजों की बाप चक 1 पटवार हल्का घटोर की जमाबंदी सम्वत 2070–73 के अनुसार वादीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 10 रकबा 23.09 बीघा किस्म बारानी–4 के अभिलिखित काश्तकार है। प्रदर्श पी–2 पैमाईश मौका फर्द ग्राम भोजों की बाप चक–1 खसरा नंबर 9, 10, 33 की पैमाईश की गई जिसे सभी ने सही स्वीकार किया। मौका पर दो ढाणियां नेकूखां पुत्र छोटू खां व रईश खां पुत्र नेकू खां का अतिक्रमण पाया गया।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) बाप के पत्र कमांक/प्र.गांव संग/2021/1280 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 10 रकबा 23.09 बीघा वादीगण के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। भूमि का मौका देखने पर पाया गया कि [illegible] सीमा चिन्ह (दो ग्रामों की सीमा चिन्ह) मौजूद पाया गया। पास ही दो कच्ची ढाणियां [illegible] रहवासी ढाणी पाई गई। जो कि ग्राम भोजों की बाप चक 1 के खसरा नंबर 10 में होना पाया गया। उक्त ढाणियों के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर पाया गया कि उक्त ढाणियां नेकू खां पि. छोटू खां व रईश खां पि. छोटू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम बडी ढाणी का होना बतलाया गया। उक्त ढाणियां व बाड. का खसरा नंबर 10 में लगभग 2.10 बीघा में कब्जा होना पाया गया।

Signature Not Verifie
Digitally signed by Mangi
Date: 2024.02.06 14:38:5
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 10 रकबा 23.09 बीघा के अभिलिखित काश्तकार नहीं है और पत्रावली में सलंग्न सीमा ज्ञान फर्द मौका व तहसीलदार बाप की

[illegible] कलेक्टर
[illegible] (जोधपुर)

रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 10 में लगभग 2.10 बीघा में प्रतिवादीगण ने ढाणियां बनाकर कब्जा कर रखा है। अर्थात् प्रतिवादीगण ने अतिक्रमी की हैसियत से बिना किसी विधिक अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है।

धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार कोई व्यक्ति बिना विधिपूर्ण अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्जा कर लेता है या कब्जा बनाये रखता है तो ऐसे अतिचारी को बेदखल किया जा सकता है।

अतः उक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 10 रकबा 23.09 बीघा सरहद मौजा भोजों की बाप चक सं. 1 तहसील बाप में दक्षिण दिशा मे प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर अवैध रूप से बनाई गई दो कच्ची ढाणियां एवं एक 4–5 फीट उंची बनाई हुई ढाणी, वादगस्त भमि पर डाली गई सामग्री पत्थर इत्यादि हटाये जावे एवं प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलाये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश पालना करावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली निर्णय शुमार की जाकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (जोधपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mangi Lal
Date: 2024.02.06 14:38:58 IST
Reason: SelfAttested